

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन राज., जयपुर

क्रमांक: एफ.वी.1(3)(28) योजना/ब.घो.120/2017-18/1759-1838

दिनांक : 24/7/2017

1. समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग
2. समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग
3. उपनिदेशक, कुचामन सिटी, पशुपालन विभाग

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 120 की क्रियान्विति हेतु विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं में उपकरण-औजार उपलब्ध करवाये जाने हेतु दिशा निर्देश।


महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 120 की क्रियान्विति हेतु विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं में उपकरण-औजार की सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने हेतु दिशा निर्देश परिशिष्ट -I पर संलग्न कर प्रेषित है। उपकरण-औजार हेतु संलग्न परिशिष्ट -II के अनुसार जिलेवार बजट आवंटन पृथक से शीघ्र ही किया जा रहा है।

अतः जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप उपकरण-औजार के क्रय की कार्यवाही की जाकर आवंटित बजट का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

संस्थाओं के लिये फर्नीचर क्रय की कार्यवाही निदेशालय स्तर से की जानी प्रक्रियाधीन है। अतः आपके स्तर से क्रय नहीं किया जाना है।

संलग्न : परिशिष्ट -I & II


(डॉ. अजय कुमार गुप्ता)
निदेशक

क्रमांक: एफ.वी.1(3)(28) योजना/ब.घो.120/2017-18/

दिनांक :

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महालेखाकार राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार पशुपालन विभाग को भेज कर लेख है कि संलग्न परिशिष्ट - II पर उपलब्ध प्रस्ताव अनुसार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों को बजट आवंटित करने का श्रम करें।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक/ संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक / योजना प्रभारी/ जिला नोडल अधिकारी, पशुपालन निदेशालय जयपुर।
5. प्रभारी अंकेक्षण दल संख्या..... पशुपालन निदेशालय जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


निदेशक


राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, जयपुर।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 120 की क्रियान्विति हेतु विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं के लिये औजार एवं उपकरण कय कर उपलब्ध करवाये जाने हेतु दिशा निर्देश।

1. बजट घोषणा की समय पर क्रियान्विति के लिये तथा स्वीकृत उपकेन्द्रों को त्वरित गति से क्रियाशील बनाने हेतु आवंटित बजट सीमा में ही औजार एवं उपकरण कय कर उपलब्ध करवाये जावें।
2. जिलेवार क्रियाशील किये जाने वाले पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों की संख्या के अनुपात में आवंटित किये जाने वाले बजट का विवरण परिशिष्ट-॥ पर उपलब्ध है।
3. उपकेन्द्रों हेतु उपयुक्त भवन का चयन एवं उपकेन्द्र के स्थापित होने के बाद ही उसके लिये औजार-उपकरण कय किया जावे। आवश्यकता से अधिक औजार-उपकरण का कय किसी भी हालत में नहीं किया जावे।
4. वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में स्वीकृत जिन उपकेन्द्रों को मशीनरी, साज सामान, उपकरण पूर्व में उपलब्ध करवा दिये गये हो, उनके लिए पुनः कय नहीं किया जावे।
5. नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र के सफल संचालन हेतु प्रत्येक उपकेन्द्र के पास निम्न विवरण अनुसार न्यूनतम उपकरण-औजार होना आवश्यक है। अतः इसे ध्यान में रखते हुये कय की कार्यवाही की जावे।

S. No.	Name of Instruments	Quantity
1	Stomach Tube	1
2	Trocar & Canula for Cattle	1
3	Irrigator SS 2 Ltr	1
4	Casting Rope Cotton	2
5	Artery Forcep 15.6 Cm Straight	1
6	Artery Forcep 15.6 Cm Curved	1
7	Halsted Mosquito Artery Forcep Tooth Straight 12.5 Cm	1
8	Halsted Mosquito Artery Forcep Tooth Curved 12.5Cm	1
9	Scissor Dressing Straight Blunt Blunt 12 Cm	1
10	Scissor Dressing Straight Sharp Sharp 12 Cm	1
11	Mayo Scissor Straight 6"	1
12	Mayo Scissor Curved 6"	1
13	Mayo Scissor Curved 8"	1
14	Mayo Scissor Straight 8"	1
15	Thumb Forcep Double Tooth 6"	1
16	Thumb Forcep Double Tooth 8"	1
17	BP Handle No.3	1
18	BP Handle No.4	1
19	Barbour Thread Cotton	6
20	SS Mug 500 ML	2
21	SS Tray With Cover	1
22	Travis	1
23	Instrument Cabinet 62"X24"X14"	1


6. उपरोक्त वर्णित उपकरणों के अतिरिक्त भी यदि स्थानीय आवश्यकता एवं उपयोगिता को देखते हुये अन्य औजार-उपकरण की आवश्यकता रहती है तो उसे संबंधित जिला संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक कुचामन सिटी उपलब्ध बजट सीमा में नियमानुसार क्रय कर सकेंगे।
7. जिला कार्यालयों के पास पूर्व में क्रय किये गये/उपलब्ध उपकरण-औजार को दृष्टिगत रखते हुये क्रय किये जाने वाले उपकरण-औजार की आवश्यकता का आंकलन किया जाकर ही क्रय आदेश दिये जावें।
8. वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में नवीन स्वीकृत समस्त 1600 उपकेन्द्रों के लिये कायो जार, ए.आई. किट तथा कास्ट्रेटर (छोटे/बड़े) आदि क्रय कर उपलब्ध करवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर को निवेदन किया गया है। उक्त उपकरण राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, द्वारा क्रय कर आपको उपलब्ध कराये जावेंगे। अतः इन्हे आप द्वारा क्रय नहीं किये जावें।
9. आवश्यकता, उपयोगिता एवं वर्तमान में कार्यालयों में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध बजट की सीमा में ही औजार उपकरण, विभागीय अनुमोदित दरों पर क्रय किये जावे। दर अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना करते हुये आवश्यक उपकरण-औजार क्रय कर उपकेन्द्रों को क्रियाशील किया जाना सुनिश्चित करें।


(डॉ. अजय कुमार गुप्ता)
निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, जयपुर।

विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं के लिये औजार एवं उपकरण कय कर उपलब्ध करवाये जाने हेतु
जिले वार सूची।

क्रम सं	जिला	उपकरण कय हेतु आवंटित की जाने वाली राशि का विवरण	
		पशु चिकित्सा संस्थाओं की संख्या	राशि (लाखों में)
1	Ajmer	43	10.25
2	Alwar	61	15.00
3	Baran	40	10.00
4	Barmer	49	12.00
5	Bharatpur	43	10.00
6	Bhilwara	37	9.00
7	Bikaner	41	10.00
8	Bundi	22	5.50
9	Chittorgarh	24	6.00
10	Churu	35	8.60
11	Dausa	25	6.00
12	Dholpur	15	3.75
13	Hanumangarh	31	7.75
14	Jaipur	77	18.65
15	Jaisalmer	12	3.00
16	Jalore	29	7.00
17	Jhalawar	20	5.00
18	Jhunjhunu	40	10.00
19	Jodhpur	33	8.25
20	Karoli	24	6.00
21	Kota	31	7.50
22	K. City	22	5.50
23	Nagaur	35	8.50
24	Pali	39	9.50
25	Rajsamand	28	7.00
26	S.Madhapur	31	7.75
27	Sikar	53	13.00
28	Sirohi	19	4.75
29	Ganganagar	41	10.00
30	Tonk	21	5.25
31	Banswara	48	12.50
32	Dungarpur	36	9.50
33	Pratapgarh	24	6.50
34	Udaipur	58	14.75
Total		1187	293.75


(डॉ. आनन्द सेजरा)
अतिरिक्त निदेशक (मोने.)